

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) (जी-120/92-स्पे)/अलेसे-III/6691-6701 दिनांक :- 30.05.2013

आदेश संख्या 84/2013-14

श्री गोपीराम, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालय, बाड़मेर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 एवं धारा 120बी भावसं के अधीन माननीय सेशन न्यायाधीश, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर (राज0) में दर्ज प्रकरणों में दिये गये निर्णय दि. 27.04.2013 के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं सपठित धारा 120बी के अन्तर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित करने एवं अर्धदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का कठोर कारावास अतिरिक्त रूप में भुगतने एवं धारा 13(1) (डी) सपठित धारा 120बी भावसं में 1 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपए अर्धदंड से दंडित करने एवं अर्धदंड अदा न करने पर 15 दिन का कठोर कारावास अतिरिक्त रूप में भुगतने के दण्ड से दंडित करने का निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा श्री गोपीराम के विरुद्ध आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराते हुए सजा दी गई है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री गोपीराम, कनिष्ठ लेखाकार का वह आचरण, जिसके कारण सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा।

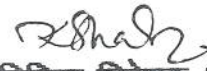
अतः अब अद्योहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री गोपीराम, कनिष्ठ लेखाकार को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते/सेवा से हटाते है।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) (जी-120/92-स्पे)/अलेसे-III/6691-6701 दिनांक :- 30.05.2013

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1- महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को इनके पत्र क्रमांक अनिव्युरो/विधि/7/2013/803-04 दिनांक 14-05-2013 के क्रम में।
- 2- प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति, वित्त एवं विकास निगम, सहकार भवन, जयपुर।
- 3- उपमहानिरीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 4- पुलिस अधीक्षक (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। सहायक निदेशक, अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 5- प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति, वित्त एवं विकास निगम, सहकार भवन, चूरु।
- 6- कोषाधिकारी, बाड़मेर/मुंझनूं।
- 7- श्री गोपीराम, क0लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर।
- 8- अतिरिक्त निदेशक (विधि एवं जांच), कोष एवं लेखा।
- 9- अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक-1 (डीपीसी शाखा हेतु)।
- 10- निजी सहायक, निदेशक महोदया, कोष एवं लेखा।
- 11- पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार।
- 12- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)